

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021

जयपुर, दिनांक:- 6/10/23

स्पष्टीकरण

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 16.06.2023 के बिन्दु संख्या-4 के संबंध में सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय अनुसार स्पष्ट किया जाता है कि आदेश दिनांक 16.06.2023 के बिन्दु संख्या-4 के प्रावधान टाउनशिप पॉलिसी-2010 एवं अन्य टाउनशिप पॉलिसी के सभी व्यावसायिक भूखण्डों पर लागू होंगे। व्यावसायिक भूखण्ड किसी भी योजना का हो सकता है यथा निकाय की योजना/कृषि भूमि की निजी योजना/बसी हुई योजना/एकल भूखण्ड योजना के व्यावसायिक भूखण्ड पर बिन्दु संख्या-4 के प्रावधान लागू होंगे।

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 के बिन्दु संख्या 2(2) पर स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान पॉलिसी के लागू होने के पश्चात आवेदित सभी प्रकरण इस पॉलिसी के अनुरूप निस्तारित किये जावेगे तथा लम्बित प्रकरण जिनमें पॉलिसी लागू होने से पूर्व के रूपान्तरण की कार्यवाही की जा चुकी है, उनमें आवेदक के चाहे जाने पर टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।


संचिता बिश्नोई
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।

8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
10. आयुक्त/अधिशायी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
11. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम